एन.सी.ई.आर.टी.
डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

सूचना विवरणिका

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली- 110016
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING
SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI -110016

एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (फैलोशिप)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अपनी नीतियाँ एव प्रमुख कार्यक्रमों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को तथा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को परामर्श व सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठन है। एन.सी.ई.आर.टी. की प्रमुख संघटक इकाइयाँ निम्नलिखित हैं: (1) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.), नई दिल्ली; (2) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), नई दिल्ली; (3) पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), भोपाल; (4) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,(आर.आई.ई.), अजमेर; (5) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल; (6) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर; (7) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर; (8) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.ई.आर.आई.ई.), शिलांग और (9) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, नेलौर। अपने अनेक कार्यकलापों में एन.सी.ई.आर.टी. और इसकी संघटक इकाइयाँ विद्यालय शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय करती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में, एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (विषयों) के एक नए समूह की पहचान की गई है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित शोध-प्रस्तावों को डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के लिए प्राथमिकता मिलेगी।

योजना के उद्देश्य :

(अ) विभिन्न विषयक परिप्रेक्ष्यों से शिक्षा के क्षेत्र में युवा अध्येताओं को अनुसंधान के अवसर प्रदान करना।

(ब) समकालीन संदर्भ में शिक्षा के ज्ञान आधार का निर्माण करना।

योजना का कार्यक्षेत्र :

एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना का उद्देश्य युवा अध्येताओं को शिक्षा और अन्य संबंधित विषयों में डॉक्टोरल शोध करने में सक्षम बनाना है। डॉक्टोरल अध्येता अपनी पसंद के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शोध संस्थान में शोधकार्य कर सकते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. किसी अनुसंधान समस्या की संकल्पना करने में मौलिक चिंतन, विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से संबंधित शोध करने में नवाचारी कार्यप्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र :

1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा
    - शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और

संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

- ई.सी.सी.ई. के प्रस्ताव के दृष्टिकोण, सामग्री और कार्यप्रणाली
- आँगनवाड़ियों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित अध्ययन जो कि प्राथमिक विद्यालयों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को एक साथ जोड़े हुए हों
- 'प्रारंभिक कक्षा' या 'बालवाटिका' से संबंधित अध्ययन
- खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र
- ई.सी.सी.ई. से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण

2. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान
    - बुनियादी स्तर पर पढ़ना, लिखना, बोलना और अंकगणित कौशल
    - निपुण भारत का कार्यान्वयन
    - साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली
    - बच्चों का पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण

3. विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों (ड्रॉपआउट विद्यार्थियों) की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
    - विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम करने और सार्वभौमिक पहुँच बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप
    - विद्यालय का बुनियादी ढाँचा
    - शिक्षक और समुदाय की भागीदारी
    - छात्रों का सीखने का स्तर, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए
    - समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का कार्यान्वयन
    - विद्यालय की सुरक्षा
    - विद्यालय शिक्षा और सीखने के वैकल्पिक तरीके

4. विद्यालय में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र
    - नयी पाठ्यक्रम और 5+3+3+4 शिक्षाशास्त्र संरचना
    - शिक्षार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना
    - मुख्य दक्षताओं से संबंधित अध्ययन

- प्रयोगिक अधिगम का कार्यान्वयन (हाथ से सीखने, कला-एकीकृत और खेल-एकीकृत शिक्षा, कहानी-आधारित शिक्षाशास्त्र, आदि)
- योग्यता आधारित शिक्षण और सीखना
- पाठ्यक्रमों के चुनाव में लचीलापन
- बहुभाषावाद और मातृभाषा शिक्षा
- विषयों, कौशल और क्षमताओं का एकीकरण
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपराओं को शामिल करना
- पाठ्यपुस्तक में कमियों की पहचान करने और कमियों को दूर करने पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान
- शिक्षार्थियों के समग्र और अभिन्न विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली मूल्य शिक्षा
- समग्र, 360 डिग्री बहुआयामी मूल्यांकन
- प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा

5. शिक्षक और शिक्षक शिक्षा :

- शिक्षक स्वायत्तता, जवाबदेही और कामकाज
- शिक्षकों का सतत् व्यावसायिक विकास और 21वीं सदी के कौशल के रुझान की रणनीतियाँ
- NEP-2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करना और उन्हें महामारी के बाद की कक्षाओं के लिए तैयार करना
- विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए बहु-विषयक और अंतर्विषयक समायोजन पर विचार करते हुए शिक्षक की तैयारी
- सेवाकालीन (In-service) कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
- विशेष शिक्षकों की भूमिका और कार्य
- एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता
- SCERTs, DIETs, और BITEs की संरचना और कार्यप्रणाली
- शिक्षण के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण: नवाचार विद्यालयों में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रथाओं का प्रमाणीकरण एक प्राथमिकता क्षेत्र होना चाहिए
- एन.ई.पी. (NEP)-2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और आकांक्षा के संबंध में सामग्री और शिक्षाशास्त्र के संदर्भ में शिक्षक चयन परीक्षा का अध्ययन

- विभिन्न (केंद्रीय और राज्य संचालित) विद्यालय शिक्षा प्रणालियों में शिक्षकों की स्थानांतरण और परिनियोजन नीतियाँ

6. समान और समावेशी शिक्षा: सभी के लिए अधिगम :
   - सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों (जैसे महिलाएँ और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक, प्रवासी, ग्रामीण और शहरी गरीब, आदि) की शिक्षा।
   - विकलांग या दिव्यांग विद्यार्थी।

7. विद्यालय परिसर/समूह :
   - विद्यालय परिसरों का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता
   - प्रत्यायन प्रणाली

8. व्यावसायिक शिक्षा: व्यवसायों के लिए वरीयताएँ, व्यावसायिक शिक्षाधारा से मुख्यधारा की शिक्षा के लिए छात्रों की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, व्यावसायिक प्रदर्शन, कौशल प्रयोगशाला, व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा में गतिशीलता।

9. शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण: विद्यालय और शिक्षण शिक्षा में आई.सी.टी.(ICT) एकीकरण, नई तकनीकों का कार्यान्वयन, शिक्षकों का प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विकास, शिक्षण-अधिगम में ई-सामग्री का उपयोग, विद्यालय शिक्षा में विघटनकारी प्रौद्योगिकी।

10. वयस्क शिक्षा जिसमें सम्पूर्ण जीवन भर की कमाई, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा, स्वयंसेवा, सामुदायिक भागीदारी आदि शामिल हैं।

11. वित्तीय साक्षरता और बौद्धिक संपदा अधिकार।

12. भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आधारित शोध।

13. भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली 21वीं सदी की आकांक्षा।

14. विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य संपर्क।

15. बहुभाषिकता।

16. आकलन सुधार।

17. अधिगम-शिक्षण सामग्री।

पात्रता :

1. स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 60% अंकों सहित उत्तम अकादमिक रिकार्ड।
2. आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. पीएच.डी. उपाधि के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में पंजीकृत अथवा अपनी पीएच.डी. के पंजीकरण हेतु कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
4. एन.सी.ई.आर.टी. के प्रतिमानकों के अनुसार एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के लिए छूट लागू।

अन्य शर्तें :

1. 10 अध्येतावृत्तियों में से कुल चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ई.) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूरू में प्रत्येक के लिए एक स्थान आरक्षित हैं। यदि चारों आर.आई.ई. में से कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो अन्य किसी योग्य उम्मीदवार को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी।
2. अध्येतावृत्तियाँ अत्याधिक सुपात्र अभ्यार्थियों के लिए सीमित होंगी। यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो परिषद् सभी 10 अध्येताओं का चयन नहीं भी कर सकती है।
3. डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित उपयुक्त अवधि के लिए डाक्टोरल पूर्व अनुसंधान कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम (Research Methodology Course) संपन्न अथवा ऐसे पाठ्यक्रम के लिए नामांकित/चयनित होना चाहिए। अनुसंधान कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम के संपन्न होने और पीएच.डी. कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पुष्टिकृत पंजीकरण के उपरान्त अध्येतावृत्ति प्रारंभ होगी।
4. प्रत्येक अध्येता को प्रत्येक समसत्र के अंत में एक सेमिनार प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
5. एन.सी.ई.आर.टी. डाक्टोरल अध्येता द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में शिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र अनुसंधान और/अथवा वर्ष में 30 दिन के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्य पुस्तक विकास में योगदान देना अपेक्षित होगा। अध्येता को यात्रा हेतु तृतीय श्रेणी (3A) वातानुकूलित किराया तथा आर.आई.ई./एन.आई.ई. छात्रावास में आवास प्रदान किया जाएगा।
6. डॉक्टोरल अध्येता द्वारा निमंत्रण मिलने पर अपने डाक्टोरल अनुसंधान कार्य से संबंधित सार्वजनिक हित के बड़े मुद्दों पर सार्वजनिक व्याख्यान देना बाध्यकारी होगा। यह सेमिनार आर.आई.ई. या एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय में आयोजित होगा और इसके लिए अध्येता को यात्रा के लिए तृतीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया दिया जाएगा।
7. अपने आवेदन के समय अभ्यर्थी अनुसंधान पर्यवेक्षक का परिचयवृत्त प्रस्तुत करेगा जिसमें गत पांच वर्ष में उसके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य स्पष्ट विदित होगा। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी को नए

अनुसंधान पर्यवेक्षक को चुनने की सलाह देने का अधिकार एन.सी.ई.आर.टी. रखता है। अभ्यर्थी एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षक/अनुसंधान गाइड चुन सकता है।

8. अंतिम तीन माह की अध्येतावृत्ति और तृतीय वर्ष की आकस्मिकता राशि शोध-प्रबंध (थीसिस) की प्राप्ति के उपरान्त ही जारी की जाएगी।

चयन प्रक्रिया :

लघु-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को साक्षात्कार-सह-प्रस्तुतीकरण के लिए उपस्थित होना होगा। इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति पर अंतिम चयन किया जाएगा। साक्षात्कार-सह-प्रस्तुतीकरण सेमिनार में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को द्वितीय (स्लीपर) श्रेणी के रेल किराए का भुगतान (सबसे छोटे मार्ग) किया जाएगा।

स्थानों का आरक्षण :

विभिन्न वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के स्थानों(सीटों) के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध होंगे।

अध्येतावृत्ति की राशि :

1. एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येताओं को प्रतिमाह रू.35,000/- (गैर-नेट) और रू.37,000/- (यू.जी.सी.-नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी) प्राप्त होगी।
2. अध्येतावृत्ति एन.सी.ई.आर.टी. में चयन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के लिए प्राप्त होगी।
3. उन्हें इस अवधि के दौरान प्रतिवर्ष रू.10,000/- का आकस्मिकता अनुदान भी प्राप्त होगा।
4. **अध्येतावृत्ति अभ्यर्थी द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. में स्थायी पीएच.डी. पंजीकरण और अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम (RMC) के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त कार्यग्रहण की तिथि से आरंभ होगी** और कार्यग्रहण की तिथि तीन वर्ष के अंत में अथवा शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने के साथ ही, जो भी पहले हो, से समाप्त हो जाएगी।

अध्येतावृत्ति का वितरण :

एन.सी.ई.आर.टी. मासिक अध्येतावृत्ति को अध्येता के बचत बैंक खाते में जमा करेगी। इसके लिए प्रत्येक अध्येता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता रखना अपेक्षित होगा। अध्येता से तिमाही आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. को 'उपस्थिति और संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। दूसरी तिमाही से मासिक अध्येतावृत्ति का जारी किया जाना उक्त प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की शर्त पर होगा। किए गए वास्तविक खर्च, परन्तु अधिकतम 10,000/- रूपय प्रति वर्ष तक का वार्षिक या वास्तविक आकस्मिकता अनुदान अध्येता द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिलों/वाउचरों की प्राप्ति पर जांच के उपरान्त अध्येता के खाते में जमा किया जाएगा।

कार्य का अन्वेक्षण:

डॉक्टोरल अध्येताओं को अपने पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष और अनुसंधान सलाहकार द्वारा विधिवत् अग्रेषित छमाही प्रगति रिपोर्ट एन.सी.ई.आर.टी. को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। विशेषज्ञों की एक समिति प्रगति की समीक्षा करेगी। एक अनुसंधान गोष्ठी का भी वार्षिक आयोजन किया जाएगा जिसमें, अध्येता अपने अनुसंधान की प्रगति को प्रस्तुत करेंगे। यदि यह रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है तो, एन.सी.ई.आर.टी. को किसी भी समय अध्येतावृत्ति समाप्त करने का अधिकार होगा।

अवकाश का नियम :

यूजीसी के कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति के मामले में निर्धारित अवकाश नियम लागू होंगे।

अध्येतावृत्ति के दौरान अन्य लाभकारी पद पर नियुक्ति :

इस अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. डॉक्टोरल अध्येता किसी अन्य लाभकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे।

शोध का प्रकाशन :

पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टोरल अध्येताओं को शोध का एक हार्ड बाउंड प्रति (एक पेनड्राईव के साथ) एन.सी.ई.आर.टी. को जमा करना होगा। एन.सी.ई.आर.टी. पूरे कर लिए गए अनुसंधान कार्य का एक उचित रूप में प्रकाशन करने पर विचार करेगी। अध्येता अपने काम को कहीं और से प्रकाशित करवाने के लिए अनुमति हेतु आवेदन कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :

आवेदन एन.सी.ई.आर.टी. वेबसाइट (**www.ncert.nic.in**) पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट में भरा जाना चाहिए। भरे गए आवेदन पत्रों के साथ प्रस्तावित अनुसंधान के शोध पर लगभग 1500 शब्दों का अवधारणा पत्र भेजा जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित के बारे में कथन समाविष्ट होगा: (अ) अध्ययन के तर्क एवं उद्देश्य, (ब) अवधारणात्मक रूपरेखा, (स) प्रस्तावित कार्यविधि, और (द) अध्ययन का संभावित योगदान। सभी अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों और पीएच.डी. पंजीकरण के प्रमाण (यदि पहले से पंजीकृत हों) की अनुप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए।

To
The Head
Division of Educational Research (DER)
NCERT, Aurobindo Marg, New Delhi-110016

ऑनलाइन प्रक्रिया :

आवेदन एन.सी.ई.आर.टी. वेबसाइट (**www.ncert.nic.in**) पर ऑनलाइन उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भरे जाने चाहिए। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएँगे।

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि समाचार पत्रों एवं एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसाइट पर विज्ञापन के प्रकाशन से एक महीना है।

अधूरे/अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

पासपोर्ट आकार की अपनी नवीन फोटो लगाएँ

एन.सी.ई.आर.टी डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति हेतु आवेदन – 2026

1. नाम: श्री/सुश्री.....
2. जन्म तिथि.....
3. लिंग .....
4. यदि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग(प्रमाण-पत्र संलग्नित करें)/समान्य वर्ग से संबंध रखते हैं तो निर्दिष्ट करें.....
5. पत्राचार हेतु पता.....
   .....
   दूरभाष नम्बर एवं ईमेल.....
6. स्थायी पता.....
   .....
   .....
   दूरभाष नम्बर.....
7. माता/पिता का नाम .....
   .....
8. शैक्षणिक योग्यताएँ (प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न करें)

उत्तीर्ण परीक्षाएँ	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	श्रेणी/ग्रेड	अंकों का %

9. (क) अन्य योग्यताएँ.....

.....

(ख) कृपया उस पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट करें जहाँ आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स (RMC) का अध्ययन किया हो और उसकी अवधि भी निर्दिष्ट करें (यदि रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स पूरा कर लिया है तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें): .....……

10. प्रकाशन/प्रस्तुतीकरण (यदि कोई हो):.....

11. पीएच.डी. पंजीकरण का विवरण :

अध्ययन का शीर्षक	विश्वविद्यालय (पूर्ण पते सहित)	विभाग/ संस्थान	शोध निर्देशक का नाम एवं पता* (ईमेल एवं दूरभाष सहित)	पंजीकरण की वास्तविक/ प्रत्याशित तिथि

*शोध निर्देशक का विस्तृत परिचयवृत्त संलग्न करें।

12. अवधारणा प्रपत्र(Concept Paper)/ पीएच.डी. की synopsis का शीर्षक :

.....

.....

.....

.....

.....

13. अनुसंधान की प्राथमिकता का क्षेत्र :

……..…..…..……

……

……

……

14. आपने अनुसंधान के लिए यह विषय क्यों चुना? (अधिकतम 150 शब्दों में) :

15. अध्येतावृत्ति के लिए अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन में अपने गुणों और कमजोरियों का विवरण दें (अधिकतम 150 शब्दों में)

स्थान: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक:

विश्वविद्यालय/संस्थान का प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय/संस्थान अभ्यार्थी को डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति प्राप्त करने हेतु सभी सुविधाएँ प्रदान करने और एन.सी.ई.आर.टी डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति के नियमानुसार उसका प्रबंधन करने पर सहमत है।

स्थान: विभाग/संस्थान का अध्यक्ष

दिनांक: मुहर

नोट: कृपया आवेदन के साथ सभी अंकपत्र/प्रमाणपत्रों, डिग्री प्रमाण-पत्र, वर्ग प्रमाण-पत्र(जो लागू हो) पंजीकरण के प्रमाण (यदि पंजीकृत हो) और अधिकतम 1,500 शब्दों में अवधारणा प्रपत्र/synopsis (concept paper/synopsis) संलग्न करें, अनुसंधान कार्य का संक्षिप्त सार और शोध निर्देशक का परिचयवृत्त संलग्न करें।